न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 025/2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. दलवीर सिंह पुत्र श्री सरवन सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एल. एल. चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. सुखजिन्द्र सिंह गिल पुत्र श्री सरवन सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एल. एल. चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर .....**वादीगण**

बनाम

1. सरवन सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी 30 जीजी चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजविन्द्र कौर पुत्री श्री सरवण सिंह पत्नी श्री जगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 15, पदमपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. सुखविन्द्र कौर पुत्री सरवण सिंह पत्नी श्री हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 04 अनूपगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. परमजीत कौर पुत्री श्री सरवण सिंह पत्नी श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा चूनावढ़, श्रीगंगानगर ..... **प्रतिवादीगण**

उपस्थित– श्री विक्रम बिश्नोई (वादीगण 1–2)
श्री जीतपाल सैनी (प्रतिवादी 1–4)
श्री हिम्मत सिंह जुनेजा (प्रतिवादी 5)

दिनांक 06 अगस्त, 2021

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र है और वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त हिन्दू परिवार है और वादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। वादीगण के पड़दादा व प्रतिवादी संख्या 01 के दादा इन्दर सिंह पुत्र श्री साहब सिंह के नाम से वाके चक 10 एल.एल. के खाता संख्या 6 के मुरब्बा नं0 28 के किला नं0 1 ता 25, मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 1 ता 25 व मुरब्बा नं0 34 के किला नं0 1 ता 5 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा किला नं0 6, 7 सालम की कुल 55.08 बीघा में से 990 हिस्सा, खाता संख्या 22 में मुरब्बा नं0 47 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 48 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 25 बीघा व खाता संख्या 24 में मुरब्बा नं0 55 के किला नं0 1 ता 25 व मुरब्बा नं0 56 के किला नं0 1 ता 25 दोनों मुरब्बा में कुल 49 बीघा मुरब्बा नं0 58 के किला नं0 1 ता 25 प्रत्येक सालम व मुरब्बा नं0 59 में 1 ता 25 कुल 49 बीघा कुल खाता में हजारा सिंह का 1/4 हिस्सा, मलकीत सिंह वगैरा का 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 25 मुरब्बा नं0 16 के किला नं0 19 ता 22 की 4 बीघा में हजारा सिंह का 1/4 हिस्सा व मलकीत सिंह वगैरा का 1/4 हिस्सा दर्ज कागजात माल थी। वादीगण के पड़दादा इन्दर सिंह व दादा आत्मा सिंह का देहान्त होने पर इन्दर सिंह की भूमि इन्दर सिंह के पुत्र हजारा सिंह व वादीगण के दादा आत्मा सिंह के वारीसान सरवण सिंह पिता वादीगण व सरवण सिंह के भाईयों मलकीत सिंह, जीत सिंह, दर्शन सिंह, ज्ञान सिंह बहिस्सा बराबर इंतकाल संख्या 14 से उक्त भूमि विरास्तन प्राप्त हो गयी थी। जमाबन्दी व इंतकाल की नकल संलग्न वाद पत्र है। भू–प्रबंध के दौरान मुरब्बा नं0 तबदील कर दिये है। हजारा सिंह व आत्मा सिंह के

सहायक कलक्टर एवं

का नाम दर्ज करवाने का कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 आजकल–आजकल करता रहा और प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 10.02.2020 को ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया। वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। वाद वादी कृषि भूमि में अधिकारों की घोषणा हेतू है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो अन्दर अवधि उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

(क) घोषित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2074–2076 के खाता संख्या 71/9 में दर्ज 8.413 हैक्टे0 पैतृक व संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है और वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के साथ बहिस्सा बराबर के हकदार व खातेदार है।

(ख) प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खाता संख्या 71/9 में दर्ज भूमि में वादीगण का नाम दर्ज किया जाकर कुल भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष हो तो दिलवाया जावे व खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

दिनांक 30.06.2021 को प्रतिवादी संख्या 05 पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शाखा चुनावढ़ की ओर से ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जवाब दावा के तथ्यों के अनुसार – वाद की चरण संख्या–1 व चरण संख्या–2 के तथ्य ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। वाद की चरण संख्या–3 के तथ्य राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है, जिसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है। वाद की चरण संख्या–4 व चरण संख्या–6 के तथ्य उतरदाता/प्रतिवादी संख्या 05 से सम्बन्धित नहीं है। वाद की चरण संख्या–5 के तथ्यों में प्रतिवादी संख्या 01 सरवण सिंह की कृषि भूमि अलग खाते में होना स्वीकार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खाता संख्या 71/9 की 8.413 हैक्टे0 भूमि प्रतिवादी संख्या 05 बैंक के पक्ष में रहन है, जिसका इन्द्राज जमाबन्दी में अंकित है।

पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 09.07.2021 को प्रस्तुत किया गया। वादीगण की शिनाख्त वादीगण अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की शिनाख्त प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनाम प्रमाणित किया गया। राजीनाम के तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 सरवण सिंह वाके चक 10 एल एल के जमाबन्दी सम्वत् 2074–2076 के खाता संख्या 71/09 के मुरब्बा नं0 16 के किला नं0 20/2 में 0.1010 है0, मुरब्बा नं0 28 के किला नं0 2/2 में 0.1520 है0, किला नं0 3, 4 दोनों सालम, किला नं0 5/1 में 0.0130 है0 किला नं0 5/3 में 0.1140 है0, किला नं0 21 में 0.2020 है0, किला नं0 22 में 0.2280 है0, किला नं0 23/1 में 0.1140 है0, मुरब्बा नं0 34 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 ता 22 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 50 के किला नं0 1 में 0.2280 है0, किला नं0 16 ता 19 प्रत्येक सालम, किला नं0 20, 21 प्रत्येक में 0.228 है0, किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 53 के किला नं0 23/1 में 0.1010 है0, किला नं0 24 सालम, किला नं0 25/1 में 0.1260 है0, मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक सालम कुल 8.4130 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि अपने पिता आत्मा सिंह से प्राप्त हुई है, जो प्रतिवादी संख्या 01 सरवण सिंह के पास पैतृक सम्पति के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 01 सरवण सिंह के नाम दर्ज भूमि में वादीगण का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा है। द्वितीय पक्ष/ प्रतिवादीगण इसमें पूर्णतः सहमत है और द्वितीय पक्ष/ प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में से राजविन्द्र कौर, सुखविन्द्र कौर, परमजीत कौर कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है और प्रतिवादी संख्या 01 सरवण सिंह के नाम दर्ज भूमि में वादीगण का नाम जोडा जाता है, तो वाद के कुल पक्षकारान सहमत है और वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है, तो प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष सहमत है। अतः यह राजीनामा बदुरूस्ती होश हवास बिना किसी नशा पता के बिना किसी दबाव के निष्पादित कर दिया है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैंः–

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादीगण संख्या 01 तथा 02 एवं प्रतिवादी संख्या 01 को तहसील श्रीगंगानगर के चक 10 एल एल के जमाबन्दी सम्वत् 2074–2076 के खाता संख्या 71/09 के मुरब्बा नं0 16 के किला नं0 20/2 में 0.1010 है0, मुरब्बा नं0 28 के किला नं0 2/2 में 0.1520 है0, किला नं0 3, 4 दोनों सालम, किला नं0 5/1 में 0.0130 है0 किला नं0 5/3 में 0.1140 है0, किला नं0 21 में 0.2020 है0, किला नं0 22 में 0.2280 है0, किला नं0 23/1 में 0.1140 है0, मुरब्बा नं0 34 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 ता 22 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 50 के किला नं0 1 में 0.2260 है0, किला नं0 16. ता 19 प्रत्येक सालम, किला नं0 20, 21 प्रत्येक में 0.228 है0, किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 53 के किला नं0 23/1 में 0.1010 है0, किला नं0 24 सालम, किला नं0 25/1 में 0.1260 है0, मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक सालम कुल 8.4130 हैक्टे0 कृषि भूमि में से बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित कर दिया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों को अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में चक 10 एल पटवार हल्का ततारसर भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र चुनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 71/9 एवं इन्तकाल नं0 14 एवं मिलान क्षेत्र चक 10 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई। उक्त दस्तावेजों एवं जमाबन्दी का अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है।

आदेश

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति/राजीनाम के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण संख्या 01 तथा 02 एवं प्रतिवादी संख्या 01 को तहसील श्रीगंगानगर के चक 10 एल एल के जमाबन्दी सम्वत् 2074–2076 के खाता संख्या 71/09 के मुरब्बा नं0 16 के किला नं0 20/2 में 0.1010 है0, मुरब्बा नं0 28 के किला नं0 2/2 में 0.1520 है0, किला नं0 3, 4 दोनों सालम, किला नं0 5/1 में 0.0130 है0 किला नं0 5/3 में 0.1140 है0, किला नं0 21 में 0.2020 है0, किला नं0 22 में 0.2280 है0, किला नं0 23/1 में 0.1140 है0, मुरब्बा नं0 34 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 ता 22 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 50 के किला नं0 1 में 0.2280 है0, किला नं0 16 ता 19 प्रत्येक सालम, किला नं0 20, 21 प्रत्येक में 0.228 है0, किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 53 के किला नं0 23/1 में 0.1010 है0, किला नं0 24 सालम, किला नं0 25/1 में 0.1260 है0, मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक सालम कुल 8.4130 हैक्टे0 कृषि भूमि में से बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 06 अगस्त, 2021 को जारी किया गया।

6/8/21

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 025/2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. दलवीर सिंह पुत्र श्री सरवन सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एल. एल. चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. सुखजिन्द्र सिंह गिल पुत्र श्री सरवन सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एल. एल. चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर .....**वादीगण**

बनाम

1. सरवन सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी 30 जीजी चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजविन्द्र कौर पुत्री श्री सरवण सिंह पत्नी श्री जगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 15, पदमपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. सुखविन्द्र कौर पुत्री सरवण सिंह पत्नी श्री हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 04 अनूपगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. परमजीत कौर पुत्री श्री सरवण सिंह पत्नी श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा चूनावढ़, श्रीगंगानगर ..... **प्रतिवादीगण**

उपस्थित– श्री विक्रम बिश्नोई (वादीगण 1–2)
श्री जीतपाल सैनी (प्रतिवादी 1–4)
श्री हिम्मत सिंह जुनेजा (प्रतिवादी 5)

दिनांक 19 अगस्त, 2021

वादपत्र संख्या 025/2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी तथा हिम्मत सिंह जुनेजा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–4 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण संख्या 01 तथा 02 एवं प्रतिवादी संख्या 01 को तहसील श्रीगंगानगर के चक 10 एल एल के जमाबन्दी सम्वत् 2074–2076 के खाता संख्या 71/09 के मुरब्बा नं0 16 के किला नं0 20/2 में 0.1010 है0, मुरब्बा नं0 28 के किला नं0 2/2 में 0.1520 है0, किला नं0 3, 4 दोनों सालम, किला नं0 5/1 में 0.0130 है0 किला नं0 5/3 में 0.1140 है0, किला नं0 21 में 0.2020 है0, किला नं0 22 में 0.2280 है0, किला नं0 23/1 में 0.1140 है0, मुरब्बा नं0 34 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 ता 22 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 50 के किला नं0 1 में 0.2280 है0, किला नं0 16 ता 19 प्रत्येक सालम, किला नं0 20, 21 प्रत्येक में 0.228 है0, किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 53 के किला नं0 23/1 में 0.1010 है0, किला नं0 24 सालम, किला नं0 25/1 में 0.1260 है0, मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 4, 7, 14, 17, 24

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रत्येक सालम कुल 8.4130 हैक्टे0 कृषि भूमि में से बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक .. शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें
मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19 अगस्त, 2021 को जारी की गयी.

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

वारिसान मलकीत सिंह, जीत सिंह, दर्शन सिंह, सरवण सिंह (प्रतिवादी संख्या 01), ज्ञान सिंह ने अपने पूर्वज इन्दर सिंह से प्राप्त भूमि का आपस में भूमि विभाजन कर लिया और इस विभाजन में मलकीत सिंह, जीत सिंह, दर्शन सिंह, सरवण सिंह, ज्ञान सिंह का मुरब्बा नं0 16 के किला नं0 20/2 में 8 बिस्वा, किला नं0 21 सालम किला नं0 22/1 सालम में 5 बिस्वा, मुरब्बा नं0 28 के किला नं0 7 ता 9 प्रत्येक सालम, किला नं0 10 में 18 बिस्वा, किला नं0 21 में 16 बिस्वा, किला नं0 22 में 18 बिस्वा, किला नं0 23/1 में 9 बिस्वा, मुरब्बा नं0 30 के किला नं0 3 सालम, किला नं0 4 में 17 बिस्वा, किला नं0 5 में 10 बिस्वा, किला नं0 6 में 19 बिस्वा, किला नं0 7 में 11 बिस्वा, किला नं0 8 में 17 बिस्वा, किला नं0 12/2 में 7 बिस्वा, किला नं0 13/1 में 9 बिस्वा, किला नं0 13/2 में 9 बिस्वा, किला नं0 13/2 मे 1 बिस्वा, किला नं0 14, 15 प्रत्येक सालम, किला नं0 16/2 में 15 बिस्वा, किला नं0 17/1 में 11 बिस्वा, किला नं0 18 में 19 बिस्वा, किला नं0 19/1 में 1 बिस्वा, किला नं0 21/2 में 6 बिस्वा, किला नं0 22 में 15 बिस्वा, किला नं0 23 ता 25 प्रत्येक 18–18 बिस्वा, मुरब्बा नं0 34 के किला नं0 1 ता 25 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 53 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 62 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई और हजारा सिंह पुत्र इन्दर सिंह को मुरब्बा नं0 28 के किला नं0 1 में 18 बिस्वा, किला नं0 2 ता 6 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 35 के किला नं0 1 में 13 बिस्वा, किला नं0 2 ता 9 प्रत्येक सालम, किला नं0 10 में 14 बिस्वा, किला नं0 12 ता 15 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 50 के किला नं0 1 में 18 बिस्वा, किला नं0 2 ता 9 प्रत्येक सालम, किला नं0 10, 11 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा, किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई। खातेदार हजारा सिंह के लाऔलाद देहान्त होने से हजारा सिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान आत्मा सिंह के लड़के मलकीत सिंह, जीत सिंह, दर्शन सिंह, सरवण सिंह, ज्ञान सिंह ही थे इसलिए भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा हजारा सिंह की भूमि मलकीत सिंह वगैरा के नाम दर्ज करने का आदेश दे दिया और मलकीत सिंह वगैरा का नाम खतौनी बन्दोबस्त के खाता संख्या 2 में नाम दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार इन्द्र सिंह की कुल भूमि व इस पैतृक भूमि की आय से खरीद की गयी सम्पूर्ण भूमि के स्वामी मलकीत सिंह, जीत सिंह, दर्शन सिंह, सरवण सिंह, ज्ञान सिंह हो गये थे। मलकीत सिंह, जीत सिंह, दर्शन सिंह, सरवण सिंह, ज्ञान सिंह ने आपस में पैतृक भूमि का विभाजन कर लिया और इस पैतृक भूमि के विभाजन में प्रतिवादी संख्या 01 वाके चक 10 एल एल के जमाबन्दी सम्वत् 2074–2076 के खाता संख्या 71/09 के मुरब्बा नं0 16 के किला नं0 20/2 में 0.1010 है0, मुरब्बा नं0 28 के किला नं0 2/2 में 0.1520 है0, किला नं0 3, 4 दोनों सालम, किला नं0 5/1 में 0.0130 है0 किला नं0 5/3 में 0.1140 है0, किला नं0 21 में 0.2020 है0, किला नं0 22 में 0.2280 है0, किला नं0 23/1 में 0.1140 है0, मुरब्बा नं0 34 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 ता 22 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 50 के किला नं0 1 में 0.2280 है0, किला नं0 16 ता 19 प्रत्येक सालम, किला नं0 20, 21 प्रत्येक में 0.228 है0, किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं0 53 के किला नं0 23/1 में 0.1010 है0, किला नं0 24 सालम, किला नं0 25/1 में 0.1260 है0, मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक सालम कुल 8.4130 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि आयी है और प्रतिवादी संख्या 01 सरवण सिंह के नाम यह भूमि पैतृक व संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त सम्पति है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्रगण है और वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के नाम की भूमि में जन्म से हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्रियां है जो अपने ससुराल में आबाद है और प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रतिवादी संख्या 01 के नाम की भूमि में से कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 बहिस्सा बराबर के हकदार है। वादग्रस्त कुल भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम है जो पैतृक व संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है। वादग्रस्त सम्पति पैतृक व संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति होने से वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहस्वामी है और राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी व दावेदार है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 को वादीगण का हिस्सा स्वीकार करने व वादग्रस्त भूमि में वादीगण

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर